भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1902

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

कॉल डिटेल रिकॉर्ड चुराने में संलिप्त जासूसी रैकेट

†1902. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कॉल डिटेल रिकॉड अवैध तरीके से चोरी करने के मामले में जांच एजेंसियों द्वारा जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें लोगों की गोपनीय जानकारियां कानून को ताक पर रख कर चोरी की जा रही थीं;

(ख) क्या यह सच है कि इस रैकेट में उ.प्र. की कानपुर पुलिस के कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस कॉल डिटेल रिकॉड चोरी में क्या नेताओं और बड़े नौकरशाहों की कॉल के रिकॉड की चोरी शामिल है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): दिल्ली पुलिस ने हाल में अवैध रूप से कॉल डिटेल रिकॉड (सीडीआर) प्राप्त करने में संलिप्तता के दो मामले दर्ज किए हैं।

(ख): भा.दं.सं. की धारा 409/420/464/120ख के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 110/116 के मामले में सर्विलेंस सेल, कानपुर में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कांस्टेबल गिरफ्तार किया गया है।

(ग): और (घ): यह जांच का विषय है।